FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

Court of ... सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर

Kind of the Case ... अन्तर्गत धारा - 212 RTA - 1955

Number of Case ... A/336/ ... Year 2024

धनश्याम व अन्य ... Versus ... जुगलकिशोर व अन्य

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	रजिस्टर्ड AD डाक से जारी हो वास्ते तामील एवं तलबी इजार हेतु आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से नोटिस की एक2 प्रति एवं AD रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। पत्रावली दिनांक 12/08/2024 को पेश हो। Priyanka सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	
12/08/24	पत्रावली पेश। पूर्व में अप्रार्थी सं. 01 ता 03, 07 ता 09, 04, 05, 06 की ओर से जवाब पेश है। अप्रार्थी सं. 10, 11 प्रफॉर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। उभयपक्ष बहस सुनी गई। वास्ते आदेश प्रा. पत्र पत्रावली दिनांक 27/08/24 को पेश हो। Priyanka सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	
27/08/24	पत्रावली पेश। उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया। मुताबिक बहस अधि. प्रार्थी - "प्रार्थीगण" के ख. सं. 319 के पश्चिम दिशा में (09-14 बीघा) के हिस्से की भूमि अप्रार्थी सं. 01 ता 03	

Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर CNR NUMBER 2024/154

Number of Case A/336/ Year 2024

घनश्याम व अन्य Versus जुगलकिशोर व अन्य

अन्तर्गत धारा - 212

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of com... of the Order
	ख॰सं॰ 319/7 आई हुई है। अप्रार्थी सं॰01 ता 03 ने प्रार्थीगण की भूमि के 03 बीघा हिस्से पर कब्जा कर लिया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थीगण के उपयोग - उपभोग में दखल ना करें।"	
	मुताबिक बहस अधि॰ अप्रार्थी- " प्रार्थीगण की 03 बीघा भूमि को पूर्व दिशा के पड़ौसी (ख॰ सं॰ 60) द्वारा दबाया गया है। अप्रार्थीगण के पास revenue record में अंकित भूमि से अधिक भूमि नहीं है। अतः प्रा॰पत्र खारिज किया जावे।"	
	उपरोक्त बहस, तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर प्रा॰ पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है- प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ्स में यह स्पष्ट नहीं है कि निर्माण कार्य ख॰सं॰ 319 में हो रहा है। ऐसा कोई प्रथमदृष्टया साबित होने वाला दस्तावेज भी न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया है। अतः प्रथम-दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित होता है। अप्रार्थीगण भी recorded tenants हैं, बिना किसी प्रमाणित साक्ष्य/दस्तावेज के उनको स्वयं की खातेदारी भूमि में उपयोग- उपभोग से वंचित कर सकता है अतः	

Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
जोधपुर

CNR NUMBER 2024/154

Number of Case A/336/ Year 2024

घनश्याम व अन्य Versus जुगल किशोर व अन्य
अन्तर्गत धारा - 212 R.T.A-1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किये जाते है। प्रार्थीगण का प्रा. पत्र अस्वीकार किया जाता है। आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल- दफ्तर हो। Priyanka सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर [Seal: सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर]	